

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट स०कृ०अ०.वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा	जनहित

श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री बिष्ट का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ए/-

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/1605 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर/अल्मोडा।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

09/06/23


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सर्वेश चन्द्र पाल स०क०अ०.वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	जनहित

श्री सर्वेश चन्द्र पाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री पाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1606 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सर्वेश चन्द्र पाल स.क.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सर्वेश चन्द्र पाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़/नैनीताल।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अमित कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर	जनहित


श्री अमित कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1607 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अमित कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अमित कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक कुमौऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


09/06/23
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री हर्षवर्द्धन कुमार स0कृ0अ0,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली	जनहित

श्री हर्षवर्द्धन कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

हण/-

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि० / 1608 / स्था०अनु०-1 / वर्ग-1 / स्थानान्तरण / 2023-24 / दिनांक 09/06/2023
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री हर्षवर्द्धन कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री हर्षवर्द्धन कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/पौड़ी।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

09/06/23


उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट

श्री अनिल कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।




(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1609 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अनिल कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अनिल कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग	सहा.निदे.स.कृ.प.प्र.के. निदेशालय परिसर देहरादून	स्वयं के अनुरोध

श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री वशिष्ठ का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह/

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1610 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री भूपेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना अनुभाग, कृषि निदेशालय देहरादून।
- 4- सहायक निदेशक स०कृ०परी०एवं प्रद०के० निदेशालय परिसर देहरादून।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 8- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 9- गार्ड पत्रावली।

09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री वाणीभूषण भट्ट स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर	स्वयं के अनुरोध

श्री वाणीभूषण भट्ट, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री भट्ट का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह/

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1611 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री वाणीभूषण भट्ट स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री वाणीभूषण भट्ट को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कीर्तिनगर।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली/नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।


आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अखिलेश चन्द्रा स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	स्वयं के अनुरोध

श्री अखिलेश चन्द्रा, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री चन्द्रा का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।




(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1612 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अखिलेश चन्द्रा स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी मोरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अखिलेश चन्द्रा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी/ऊधमसिंहनगर।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	डा० जितेन्द्र भाष्कर स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी चमोली	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	स्वयं के अनुरोध

डा० जितेन्द्र भाष्कर, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। डा० भाष्कर का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

ह/

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1613 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- डा० जितेन्द्र भाष्कर स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार डा० भाष्कर को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मोहित कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	स्वयं के अनुरोध

श्री मोहित कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

ए/-

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1614 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री मोहित कुमार स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर/हरिद्वार।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अजय टम्टा स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अगस्त्यमुनि	कृषि निदेशालय	स्वयं के अनुरोध

श्री अजय टम्टा, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री टम्टा का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ट/

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1615 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अजय टम्टा स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अगस्त्यमुनि।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अगस्त्यमुनि को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अजय टम्टा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना अनुभाग, कृषि निदेशालय देहरादून।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 7- आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 8- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 9- गार्ड पत्रावली।

09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या E-25478/3(11)2010, No-369/XIII-1/23 दिनांक 18.04.2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080/ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2/ दिनांक 10 मई, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री धनराम आर्य स०कृ०अ०,वर्ग-1 (विकास शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल	कृषि निदेशालय	स्वयं के अनुरोध

श्री धनराम आर्य, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री आर्य का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह/

(डा० अभय सक्सेना)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1616 /स्था०अनु०-1/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2023-24/दिनांक 09/06/2023
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री धनराम आर्य स.कृ.अ.वर्ग-1, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
- 2- मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री धनराम आर्य को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना आदेश निर्गत होने 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी स्थापना अनुभाग, कृषि निदेशालय देहरादून।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 7- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

ह/ 09/06/23

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।